

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-02/2020/127/94-स्टा0नि0-2-2020-700(74)/2015

लखनऊ: दिनांक: 13 फरवरी, 2020

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से सरकारी अधिसूचना संख्या-30/2015/1430/94-स्टा0नि0-2-2015-700(74)/2015 दिनांक 08-12-2015 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं:-

संशोधन

रजिस्ट्रीकरण फीस सारिणी के अनुच्छेद 1 के क्रमांक 1 में, नीचे स्तम्भ I में दिये गये खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ II में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ I (विद्यमान खण्ड)		स्तम्भ II (एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)	
(क) जहां मूल्य या प्रतिफल अभिव्यक्त है।	दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन हेतु आगणित ऐसे प्रतिफल या मूल्य के दो प्रतिशत जो भी अधिक हो परन्तु न्यूनतम रूपया 100 और अधिकतम रूप 20,000.00	(क) जहां मूल्य या प्रतिफल अभिव्यक्त है।	दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन हेतु आगणित ऐसे प्रतिफल या मूल्य, जो भी अधिक हो, का, न्यूनतम 100.00 के अध्याधीन एक प्रतिशत

वीना कुमारी

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2 इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanodesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**Uttar Pradesh Shasan
Stamp Evam Registration Anubhag-2**

The Governor is please to order the publication of following English translation of notification
no. 02/2020/127/94-Stamp Nibandhan-2-2020-700(74)/15 dated 13 February, 2020
for general information.

Notification

No.02/2020/127/94- Stamp Nibandhan-2-2020-700(74)/15

Lucknow, Dated 13 February, 2020

exercise of the powers conferred by section 78 of the Registration Act, 1908 (Act no. XVI of 1908), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. X of 1897), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no.30/2015/1430/94-Stamp Nibandhan-2-2015-700(74)/15 dated 18/12/2015 from the date of its publication in the Gazette.

Amendment

The Table of Registration Fees in serial no. 1 of Article 1, for clause (a) set out in Column I below, the clause as set out in Column II shall be substituted, namely :-

Column I (Existing clause)		Column II (Clause as hereby substituted)	
a.	the value or consideration expressed. Two percent of such consideration or value, calculated for the purpose of stamp duty chargeable on the document, whichever is higher, but minimum 100.00 and maximum 20000.00	a. Where the value or consideration is expressed.	One percent of such consideration or value, calculated for the purpose of stamp duty chargeable on the document, whichever is higher, subject to the minimum of 100.00

Veena Kumari
Pramukh Sachiv